

21 3/4

पत्रावलीपुस्तक अधि. प्राचीन दफ्तर/अधिसूची
 6-1-1915 के तहत ही चुकी है, कावजू
 तहत ही दफ्तर है। अधि: कृत्यादी 15-19
 15 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में
 लाई जाती है। अधिसूची अधिसूची प्राचीन
 एक पक्षीय आवेदन पर अधिसूची 1915/16 अधिसूची पर
 मनन किया गया एवं पत्रावली पर अपलक्ष्य
 बतलावेषों का अवलोकन किया गया। प्राचीन
 इतर विवाहित भूमि क्र. 1602/791 अधिसूची
 0.80 हेक्टर व अधिक नानी तहसील सीकर जिले
 में से 0.562 हेक्टर भूमि को इस किया गया
 पत्रावली नाम रसीद नहीं हो पाया। तदनुसार
 विवेक खालेदार को जॉर होने पर अधिसूची पर
 का नाम रसीद दिये गये गैर ही मतक कपरेव
 के वादों इतर विवाहित का नाम. खुलवा
 किया गया, इस प्रकार प्राचीन अधिसूची अधिसूची
 के विवाहित भूमि में एक निहित है तथा
 विवाहित भूमि का तहसील वार्ड क्र. 10 की
 अधिसूची में परिवर्तन करने पर प्राचीन के
 एक अधिसूची हो सके है। अधि: अधिसूची
 को प्राचीन अधिसूची अधिसूची से पाक-3 किया
 जाता है कि के विवाहित भूमि क्र. 1602/791
 अधिसूची 0.8000 हेक्टर व अधिक नानी
 तहसील सीकर जिले का अधिसूची अधिसूची
 अधिसूची पर तहसील वार्ड अधिसूची अधिसूची
 क्र. 10 की अधिसूची बनाये गये। पत्रावली
 अधिसूची अधिसूची अधिसूची अधिसूची
 अधिसूची अधिसूची अधिसूची अधिसूची
 अधिसूची अधिसूची अधिसूची अधिसूची
 अधिसूची अधिसूची अधिसूची अधिसूची

उपखण्ड अधिकारी, सीकर